सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| आषाढ़ *10, सोमवार*, शाके 1946-*जुलाई 01*, 2024<br>*Asadha 10, Monday, Saka 1946- July 01, 2024* | |


**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**जल संसाधन विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जून 28, 2024**

**संख्या: 67/भू.अ./ज.स./2016/1193-1197**-:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फोर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत झोपड़ी जीवद माईक्रों सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण हेतु शेष खसरों की भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, सवाई माधोपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बामनवास होगे।

**विवरण**

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सवाई माधोपुर के फॉर वाटर कान्सेप्ट अन्तर्गत झोपड़ी जीवद माईक्रो सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली शेष रही भूमि हेतु भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव।

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | ग्राम पंचायत | ग्राम का नाम | तहसील का नाम | भूमि अवाप्ति अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | झोपड़ी जीवद माईक्रों सिंचाई परियोजना | जीवद | मन्दिर मीना | बामनवास | उपखण्ड अधिकारी बामनवास |

**फार्म-2**

**(देखे-नियम-5)**

**(पार्ट-बी)**

**सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना**

**सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-**

| | | |
|---|---|---|
| (क) | परियोजना विकासकर्ता का नाम | अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड सवाई माधोपुर। |
| | प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षैत्र और प्रभावित क्षैत्र | फोर वाटर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत माईक्रों टैंक झोपड़ी जीवद ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर योजना के अन्तर्गत 1.786 हैक्टयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित हैं। |
| (ख) | सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देष्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत 1-परामर्श, 2-सर्वेक्षण, 3- सार्वजनिक सुनवाई /सुनवाईयां भी दें। | 1. परामर्श<br>2. सर्वेक्षण<br>3. सार्वजनिक सुनवाई |
| (ग) | यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित हैं तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा। | अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही हैं। |
| (घ) | समाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा ओर सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होगें। | अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार। |
| (ड) | इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी। | हाँ। |
| (च) | समाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधित जानकारी। | कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सवाई माधोपुर में उपलब्ध। |

मुकेश कुमार गुप्ता,
**उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,**
**वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,**
**राजस्थान, जयपुर।**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**